

मंदिरों पर राज्य का नयित्रण

प्रारंभिक परीक्षा के लिये:

धार्मिक स्वतंत्रता, मूल अधिकार, [अनुच्छेद 25](#)।

मुख्य परीक्षा के लिये:

पूजा स्थलों पर राज्य नयित्रण संबंधी मुद्दे, मंदिर प्रशासन में पारदर्शिता और जवाबदेहता, सरकारी नीतियाँ एवं हस्तक्षेप

[स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस](#)

चर्चा में क्यों?

तरुमाला वेंकटेश्वर मंदिर में चढ़ाए जाने वाले पवतिर प्रसाद के रूप में तरुपतलिड्डू को लेकर हाल ही में हुए विवाद से हद्वि मंदिरों पर सरकारी नयित्रण के मुद्दे पर प्रकाश पड़ा है।

- लड्डूओं में मलियावटी घी पाए जाने के बाद इन मंदिरों को सरकारी हस्तक्षेप से मुक्त करने की मांग फिर से उठने लगी है।

तरुमाला वेंकटेश्वर (तरुपतलिबालाजी) मंदिर

- यह तरुमाला, आंध्र प्रदेश में वेंकट पहाड़ी पर स्थित है, जो तरुमाला पहाड़ियों की सात पहाड़ियों (सप्तगिरि) में से एक है।
- यह भगवान वशिष्ठ के अवतार भगवान वेंकटेश्वर को समर्पित है।
- इस मंदिर का इतिहास समृद्ध है जिसमें पल्लव, चोल और वजियनगर शासकों सहित विभिन्न दक्षिण भारतीय राजवंशों का प्रमुख योगदान रहा है।
 - इसमें पारंपरिक दक्षिण भारतीय मंदिर वास्तुकला है जिसमें ऊँचा गोपुरम (प्रवेश द्वार) और जटिल नक्काशी है।
- इस मंदिर की एक उल्लेखनीय प्रथा यह है कि भक्तगण बाल दान करते हैं।

भारत में पूजा स्थलों का प्रबंधन कैसे किया जाता है?

- हद्वि मंदिर:
 - सरकारी नयित्रण: अधिकांश हद्वि मंदिरों का प्रबंधन राज्य के नियमों के तहत किया जाता है, कई राज्यों ने ऐसे कानून बनाए हैं जो मंदिर प्रशासन पर सरकार को अधिकार प्रदान करते हैं।
 - उदाहरण के लिये, तमिलनाडु का हद्वि धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती (HR&CE) विभाग मंदिर प्रबंधन की देखरेख करता है जिसमें वृत्ति और मंदिर प्रमुखों की नियुक्तियाँ शामिल हैं।
 - आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा तरुपतलि मंदिर के प्रबंधन हेतु उत्तरदायी, तरुमाला तरुपतलिदेवस्थानम (TTD) के प्रमुख की नियुक्ति की जाती है।
 - आय का उपयोग: प्रमुख मंदिरों से प्राप्त राजस्व को अक्सर छोटे मंदिरों और सामाजिक कल्याण पहलों जैसे अस्पतालों, अनाथालयों और शैक्षणिक संस्थानों के रखरखाव हेतु आवंटित किया जाता है।
 - वधिकि ढाँचा: राज्य को हस्तक्षेप की शक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25(2) से प्राप्त होती है जिससे जवाबदेही सुनिश्चित करने के क्रम में धार्मिक प्रथाओं से संबंधित आर्थिक तथा सामाजिक गतिविधियों के नियमन की अनुमति मिलती है।
 - भारत में लगभग 30 लाख पूजा स्थलों में से अधिकांश हद्वि मंदिर हैं (जनगणना 2011)।
- मुस्लिम और ईसाई पूजा स्थल:
 - सामुदायिक प्रबंधन: मुस्लिम और ईसाई पूजा स्थलों की देखरेख आमतौर पर समुदाय-आधारित बोर्डों या ट्रस्टों द्वारा की जाती है,

जो सरकारी नियंत्रण से स्वतंत्र होकर कार्य करते हैं, जिससे विकेन्द्रीकृत प्रबंधन दृष्टिकोण को बढ़ावा मिलाता है।

- **सखि, जैन और बौद्ध मंदिर:**
 - सखि, जैन और बौद्ध मंदिरों का प्रबंधन राज्य स्तर पर सरकारी वनियमन के वभिन्न स्तरों के अधीन है, जबकि सामुदायिक भागीदारी की इनके प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिका है।
- **राज्य अधिनियम और हस्तक्षेप:**
 - धार्मिक बंदोबस्त और संस्थाओं को संवधान की सातवीं अनुसूची की समवर्ती सूची में सूचीबद्ध किया गया है जिससे केंद्र और राज्य दोनों को इस विषय पर कानून बनाने का अधिकार है। इससे राज्यों में अलग-अलग वनियामक ढाँचे बन गए हैं।
 - कुछ राज्यों जैसे जम्मू और कश्मीर ने श्री माता वैष्णो देवी शराइन अधिनियम, 1988 के तहत व्यक्तिगत मंदिरों के लिये वशिष्ट कानून बनाए हैं, जो उनके प्रशासन एवं वित्तपोषण की रूपरेखा तैयार करते हैं।

मंदिरों के संबंध में राज्य वनियमन की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है?

- **औपनिवेशिक कानून:** वर्ष 1810 और 1817 के बीच ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल, मद्रास और बॉम्बे में कानून बनाए, जिससे आय के दुरुपयोग को रोकने के लिये मंदिर प्रशासन में हस्तक्षेप की अनुमति मिली गई।
- **धार्मिक बंदोबस्ती अधिनियम (1863):** ब्रिटिश सरकार के इस अधिनियम का उद्देश्य मंदिर के नियंत्रण को समतियों को हस्तांतरित करके मंदिर प्रबंधन को धर्मनरिपेक्ष बनाना था लेकिन नागरिक प्रक्रिया संहिता और धर्मार्थ तथा धार्मिक ट्रस्ट अधिनियम (1920) जैसे अधिक ढाँचों के माध्यम से सरकारी प्रभाव को बनाए रखा गया।
- **मद्रास हिंदू धार्मिक बंदोबस्ती अधिनियम (1925):** इसके तहत हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती बोर्ड की स्थापना की गई, जो एक वैधानिक निकाय था। इसके साथ ही प्रांतीय सरकारों को मंदिर के मामलों पर कानून बनाने का अधिकार दिया गया, जिसमें आयुक्तों के एक बोर्ड को नरीक्षण की अनुमति दी गई।
- **स्वतंत्रता के बाद:**
 - 1950 में भारतीय अधिायोग ने मंदिर के धन के दुरुपयोग को रोकने के लिये कानून की सफारिश की, जिसके परिणामस्वरूप तमिलनाडु हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती (TN HR&CE) अधिनियम, 1951 को अधिनियमित किया गया।
 - इसमें मंदिरों और उनकी संपत्तियों के प्रशासन, सुरक्षा और संरक्षण के लिये हिंदू धार्मिक तथा धर्मार्थ बंदोबस्ती विभाग के गठन का प्रावधान है।
- लगभग उसी समय धार्मिक संस्थाओं को वनियमन करने के लिये बिहार में बिहार हिंदू धार्मिक ट्रस्ट अधिनियम, 1950 पारित किया गया।

धार्मिक मामलों में राज्य के वनियमन से संबंधित संवैधानिक प्रावधान क्या हैं?

- **अनुच्छेद 25:**
 - अनुच्छेद 25(1) लोगों को अपने धर्म का पालन, प्रचार और प्रसार करने की स्वतंत्रता देता है जो लोक व्यवस्था, नैतिकता तथा स्वास्थ्य के अधीन है।
 - अनुच्छेद 25(2) राज्य को धार्मिक प्रथाओं से जुड़ी आर्थिक, वित्तीय, राजनीतिक या धर्मनरिपेक्ष गतिविधियों को वनियमित करने और सामाजिक कल्याण, सुधार के साथ हिंदू धार्मिक संस्थानों को हिंदुओं के सभी वर्गों के लिये खोलने के लिये कानून बनाने की अनुमति देता है।
 - इसलिये धार्मिक आचरण के धर्मनरिपेक्ष पहलुओं को वनियमित करने का मुद्दा, पूजा तक पहुँच प्रदान करने से अलग है।
- **धार्मिक मामलों में राज्य के वनियमन से संबंधित न्यायिक उदाहरण:**
 - **सर्वोच्च न्यायालय (SC) ने फैसला दिया कि धार्मिक संस्थाओं को अनुच्छेद 26 (D) के तहत स्वतंत्र रूप से अपने मामलों का प्रबंधन करने का अधिकार है जब तक कि वे लोक व्यवस्था, नैतिकता या स्वास्थ्य के विपरीत नहीं होते हैं।**
 - हालाँकि, राज्य धार्मिक या धर्मार्थ संस्थाओं के प्रशासन को वनियमित कर सकता है। इस मामले से भारत में धार्मिक स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकारों की सुरक्षा के क्रम में महत्वपूर्ण मसाला कायम हुई।
 - **सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि धार्मिक प्रथाएँ भी धार्मिक आस्था या सिद्धांतों की तरह ही धर्म का हिस्सा हैं लेकिन यह संरक्षण केवल धर्म के आवश्यक एवं अभिन्न अंगों तक ही सीमित है।**
 - **सर्वोच्च न्यायालय ने मंदिर प्रबंधन पर वंशानुगत अधिकारों को समाप्त करने वाले कानून को बरकरार रखा और इस तर्क को खारज कर दिया कि ऐसे कानून सभी धर्मों पर समान रूप से लागू होने चाहिये।**
 - **सर्वोच्च न्यायालय ने 25 अक्टूबर 1977: 1977 (3) SCC 1, 1977: 1977 (3) SCC 1 के तहत मंदिर प्रबंधन पर वंशानुगत अधिकारों को समाप्त करने वाले कानून को बरकरार रखा और इस तर्क को खारज कर दिया कि ऐसे कानून सभी धर्मों पर समान रूप से लागू होने चाहिये।**

मंदिर को सरकारी नियंत्रण से मुक्त करने की मांग

- **RSS द्वारा प्रारंभिक प्रस्ताव (1959):** राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) ने अपना पहला प्रस्ताव पारित किया जिसमें मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त करने की मांग की गई, जिसमें धार्मिक संस्थानों के स्व-प्रबंधन की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया।

- **काशी विश्वनाथ मंदिर मामला (1959):** अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा (ABPS) ने उत्तर प्रदेश सरकार से काशी विश्वनाथ मंदिर का प्रबंधन हट्टुओं को वापस करने का आग्रह किया तथा धार्मिक मामलों पर राज्य के एकाधिकार की आलोचना की।
- **हालिया घटनाक्रम (2023):** मध्य प्रदेश सरकार ने मंदिरों पर राज्य की नगिरानी में ढील देने के लिये कदम उठाए हैं जो धार्मिक संस्थानों पर सरकारी नयितरण के पुनर्मूल्यांकन की बढ़ती प्रवृत्तिका संकेत है।

पूजा स्थलों पर राज्य के नयितरण के पक्ष और वपिक्ष में क्या तरक हैं?

- राज्य के नयितरण के पक्ष में तरक:
 - कुप्रबंधन को रोकना: सरकारी नयितरण से मंदिर के धन के प्रशासन में पारदर्शिता सुनश्चिति होने के साथ इसके दुरुपयोग में कमी आती है।
 - सभी जातयों को प्रवेश: राज्य पर्यवेक्षण से सामाजिक सुधारों को लागू करने में मदद मिलती है, जैसे सभी जातयों के लोगों को हट्टु मंदिरों में प्रवेश की अनुमति देना।
 - कल्याणकारी गतविधियों: बड़े मंदिर, अस्पतालों और सकूलों जैसी कल्याणकारी गतविधियों के लिये धन मुहैया कराते हैं। सरकारी नगिरानी से सुनश्चिति होता है काइन नधियों का उपयोग सार्वजनिक भलाई के लिये किया जाए।
 - व्यावसायीकरण से संरक्षण: राज्य द्वारा मंदिरों को नहिती स्वार्थों से होने वाले शोषण से बचाया जा सकता है।
- राज्य नयितरण के वरिद्ध तरक:
 - धार्मिक स्वतंत्रता: संवधान का अनुच्छेद 26 धार्मिक संप्रदायों को अपने मामलों का प्रबंधन स्वयं करने के अधिकार की गारंटी देता है और राज्य का अत्यधिक हस्तक्षेप इस अधिकार का उल्लंघन माना जाता है।
 - राजनीतिक हस्तक्षेप: मंदिरों पर राज्य नयितरण के परिणामस्वरूप अक्सर राजनीतिक हस्तक्षेप होता है, मंदिर के संसाधनों में हेराफेरी की जाती है और धन का गैर-धार्मिक उद्देश्यों में उपयोग किया जाता है।
 - भेदभावपूर्ण: हट्टु मंदिरों पर सरकारी नयितरण को भेदभावपूर्ण माना जाता है, क्योंकि अन्य धार्मिक पूजा स्थलों पर समान नयितरण नहीं लगाया जाता है।
 - सांस्कृतिक स्वायत्तता: मंदिर सांस्कृतिक केंद्र हैं और उनका प्रबंधन स्थानीय समुदाय के हतियों (न करि राज्य के) में होना चाहिये।

आगे की राह:

- धार्मिक और प्रशासनिक कषेत्रों का पृथक्करण: प्रभावी शासन सुनश्चिति करने के लिये धार्मिक कार्यों और धर्मनरिपेक्ष प्रशासनिक कार्यों के बीच स्पष्ट रेखा खीचना आवश्यक है।
- सुशासन सदिधांत: राज्य के अधिकारयों से मिलकर एक राज्य स्तरीय मंदिर प्रशासन बोर्ड का गठन किया जा सकता है, जो मंदिर प्रबंधन समिति (TMC) और स्थानीय मंदिर स्तरीय ट्रस्टों के साथ मिलकर कार्य करेगा, जसिमें पुजारी एवं समुदाय के सदस्य शामिल होंगे, ताका विभिन्न प्रशासनिक कार्यों की देखरेख की जा सके।
 - हट्टु रिलीजियस एंड चैरिटेबल एंडोमेंट एक्ट, 1991 में भी ऐसे मंदिर प्रशासन बोर्ड की स्थापना का प्रावधान है।
- विशेष प्रयोजन वाहन (SPV): सभी मंदिरों के लिये विकास पहलों को संभालने के लिये एक मंदिर विकास और संवर्द्धन नगिम (TDC) बनाया जाना चाहिये, जसिमें पर्यटन, मंदिर नेटवर्कगि, अनुसंधान संवर्द्धन, आईटी संवर्द्धन, प्रशिक्षण और क्षमता नरिमाण पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिये।
- सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाना: केरल में देवासवोम मॉडल, जो जवाबदेही और पारदर्शिता पर ज़ोर देता है, मंदिर प्रबंधन में भ्रष्टाचार को कम करने के लिये एक प्रभावी ढाँचे के रूप में कार्य करता है।

दृष्टिमुख्य परीक्षा प्रश्न:

Q. भारत में पूजा स्थलों पर राज्य के नयितरण का धार्मिक स्वतंत्रता, धर्मनरिपेक्षता और धार्मिक संस्थाओं के प्रबंधन पर पड़ने वाले प्रभाव का परकिषण कीजिये। संवधानिक और कानूनी दृष्टिकोण से चर्चा कीजिये।

यूपीएससी सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न (PYQs)

??????:

Q. धर्मनरिपेक्षता की भारतीय अवधारणा पश्चिमी धर्मनरिपेक्षता मॉडल से कसि प्रकार भिन्न है? चर्चा कीजिये। (2016)